



बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, बाडूजई द्वितीय, निकट टाउन हाल, शाहजहाँपुर

मोबाइल नं.: 7081600530, 7081600500

नीलामी
सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित दृष्टिबंधवाहन जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार कब्जे में लिया गया है को दिनांक 18.06.2019 को "जैसी है जहाँ है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी किया जायेगा। निम्नलिखित उधारकर्ता को नोटिस दी जाती है कि वो नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया, अद्यतन ब्याज व अन्य खर्चों सहित सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दे। इसमें असफल होने पर उस वाहन की नीलामी कर दी जायेगी तथा बकाया राशि (यदि कोई हो तो) ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित वसूल कर ली जाएगी।

| ऋणी का नाम व पता | वाहन का विवरण | आरक्षित मूल्य (रु.) व धरोहर राशि | नीलामी का स्थान |
|---|---|--|---|
| ऋणी- मूलचन्द्र पुत्र श्री राम प्रसाद एवं रूप लाल पुत्र श्री गोधन लाल निवासी ग्राम खिरकिया पोस्ट-जोगीठेर तेग तहसील- बीसलपुर, पीलीभीत शाखा - बीसलपुर | ट्रैक्टर पंजीकरण सं. UP26 J 7946 - निर्माता का नाम- Preet Tractors Pvt. Ltd. Chassis No. 11093504280 Engine No. P33501780 Model वर्ष 2009 | आरक्षित मूल्य 95000/- धरोहर राशि - 9500 | बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, बाडूजई द्वितीय, शाहजहाँपुर |

नीलामी तिथि-18.06.2019 समय-02 बजे, नीलामी का स्थान-बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बाडूजई द्वितीय शाहजहाँपुर।

नीलामी की शर्तें :- (1) यह नीलामी "जैसी है जहाँ है और जो कुछ भी है" के आधार पर हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी की अधिकतम जानकारी व विश्वास तक नीलामी की जा रही वाहन भार मुकर्त है। फिर भी इच्छुक आवेदनकर्ता को चाहिए कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रूप से सभी भार, टाईटिल क्लेम आदि की स्वयं जांच कर ले। यह वाहन सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (3) नीलामी में भाग लेने के इच्छुक आवेदनकर्ता को अपनी सील बंद प्रस्ताव के साथ सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत (अग्रिम धनराशि) का बैंकसें चेक/ड्राफ्ट प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में शाहजहाँपुर पर देय हो, बोली के पूर्व जमा करना होगा। यह धनराशि प्रस्ताव मंजूर न होने की दशा में वापस किये जाने योग्य होगी तथा इस धनराशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। (4) नीलामी में भाग लेने हेतु प्रस्ताव नीलामी स्थान पर दिनांक 17.06.2019 को साथ 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे एवं नीलामी के दिन दोपहर 2 बजे प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोले जायेंगे। (5) नीलामी में सफल आवेदनकर्ता की अग्रिम जमा धनराशि बैंक के पास ही रहे गी तथा सफल आवेदनकर्ता द्वारा अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत (अग्रिम धनराशि के अतिरिक्त) उसी दिन जमा करना होगा। इस धनराशि का भुगतान केवल बैंकसें चेक/ड्राफ्ट जो प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में शाहजहाँपुर पर देय हो, द्वारा स्वीकार किया जायेगा। (6) अधिकतम बोली की धनराशि की शेष धनराशि नीलामी क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास 15 दिनों के अन्दर जमा करनी होगी। ऐसा न होने की स्थिति में नीलामी क्रेता द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा वाहन की नीलामी पुनः की जाएगी तथा उपरोक्त नीलामी में क्रेता को पुनः भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। (7) सफल नीलामी क्रेता को स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, वाहन कर अथवा राज्य सरकार को देय धनराशि स्वयं वहन करनी होगी। (8) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताए नीलामी के सम्बन्ध में किसी बोली को स्वीकार करने अथवा सभी बोली को निरस्त करने, स्थगित करने, नीलामी से वाहन को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा। (9) नीलामी बैंक द्वारा पुष्टि किये जाने पर ही मान्य होगी। (10) बिक्री प्रमाण पत्र सफल बोलीकर्ता के नाम पर ही जारी होगी, दूसरे नाम से जारी नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त उधारकर्ता को नोटिस दी जाती है कि वो नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया, ब्याज व अन्य खर्चों सहित जमा कर दे। इसमें असफल होने पर उस वाहन की नीलामी कर दी जाएगी तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो आपसे ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक : 15.05.2019

स्थान : शाहजहाँपुर

प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक